अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रबंध

5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसैंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान टोकन टैक्स, परमिट फीस, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर तथा पेनल्टी से संबंधित 220 इकाइयों में से 91 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 33,030 मामलों में ₹ 7.76 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत नीचे वर्णित हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	1,227	1.95
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	25,125	0.49
3.	ओवरलोडिड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	130	0.26

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
4.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स	4,702	2.09
	• यात्री कर	588	1.13
	• माल कर	969	1.03
5.	विविध अनियमितताएं	289	0.81
योग		**33,030**	**7.76**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,281 मामलों में ₹ 92.35 लाख के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 90.67 लाख से आवेष्टित 1,242 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 87 मामलों में ₹ 4.60 लाख वसूल किए जिनमें से 48 मामलों में ₹ 2.92 लाख वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 1.27 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में विचाराधीन हैं:

परिवहन विभाग

5.3 माल कर की अवसूली/कम वसूली

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया/कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 25 मार्च 2011 से लोडिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों[1] पर राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से जाने वाले सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राहय है। कर, समान त्रैमासिक किश्तों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। पी.पी.जी.टी. नियम, 1952 का नियम 22 प्रावधान करता है कि यदि अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी मालिक द्वारा कोई राशि देय है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी मांग नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस जारी करने की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की तारीख नियत करेगा जब तक मालिक ऐसे भुगतान के प्रमाण में प्राप्त किया गया चालान प्रस्तुत कर सकता है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

[1] ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (10 टन से अधिक नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष (10 टन से अधिक लेकिन 17 टन से अधिक नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (17 टन से अधिक)। ये दरें सकल वाहन भार के आधार पर 09 जुलाई 2015 को संशोधित की गई थी, छूट प्राप्त (1.2 टन तक): ₹ 6,000 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक लेकिन छः टन से अधिक नहीं); ₹ 7,200 प्रतिवर्ष (छः टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं); ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं) तथा ₹ 18,000 प्रतिवर्ष (25 टन से अधिक)।

11 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)[2] के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 47.25 लाख का माल कर जमा नहीं करवाया। विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, न ही देयों की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु कोई प्रणाली थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर छः डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.)[3] ने अप्रैल तथा मई 2017 में बताया कि ब्याज सहित ₹ 2.77 लाख का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 39.41 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। वूसली पर अगली प्रगित रिपोर्ट तथा शेष पांच डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्तूबर 2017)।

मामला अप्रैल तथा दिसंबर 2016 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

5.4 टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

742 माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पी.एम.वी.टी. अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली तिमाही अवधियों के लिए समान किस्तों में प्रत्येक मोटर वाहन पर कर उद्ग्राहय होगा। कर उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु ऐसी तिमाही अवधियों में किसी खंडित अवधि को संपूर्ण तिमाही के रूप में माना जाएगा। जनवरी 2006 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार टोकन टैक्स सकल वाहन भार[4] के आधार पर समान तिमाही अथवा वार्षिक किश्तों में अग्रिम में उद्ग्राहय होगा। प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में प्रत्येक तिमाही के अगले माह के आरंभ से देय टोकन टैक्स के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। तथापि, पेनल्टी की अधिकतम राशि, देय कर की दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी।

पांच सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.)[5] के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 742 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16

---

2 भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरूग्राम, हिसार, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

3 फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), करनाल, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

4 ₹ 300 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक नहीं), ₹ 1,200 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक लेकिन छः टन से अधिक नहीं); ₹ 2,400 प्रतिवर्ष (छः टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं), ₹ 3,500 प्रतिवर्ष (16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं) तथा ₹ 4,500 प्रतिवर्ष (25 टन से अधिक)।

5 आर.टी.एज: अंबाला, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, रोहतक तथा सिरसा।

के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया। टोकन टैक्स वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख की राशि के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर सभी आर.टी.एज ने बताया (अप्रैल तथा अगस्त 2017 के मध्य) कि ₹ 8.49 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा संबंधित वाहन मालिकों से ₹ 42.99 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

मामला सितंबर 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।